पत्रांक : /आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/वाणि0कर/2016–17/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः दिनांकः 02 जुलाई, 2016

:: परिपत्र ::

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 103/XXXVI(3)/2016/15(1)/2016 देहरादून, 31 मार्च, 2016 द्वारा अन्य संशोधनों सहित उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा 9 में भी कतिपय संशोधन किए गए हैं। टैक्स ऑडिट से संबंधित इस धारा के संशोधन के प्रभावी व सम्यक उपयोग हेतु निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं–

1– धारा 25(9)(च)(दो) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश को अपास्त करने अथवा पुनः कर निर्धारण करने की शक्ति का प्रयोग, जिस प्राधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाना है अथवा जिस प्राधिकारी के आदेश का पुनः कर निर्धारण किया जाना है, से निम्नतर स्तर के प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

2– धारा 25(9)(च)(तीन) के अन्तर्गत कर निर्धारण की शक्ति का प्रयोग, कर निर्धारण हेतु समय–समय पर जारी परिपत्रों, निर्देशों व तत्समय लागू वादों की मौद्रिक सीमा के अधीन, उस स्तर से निम्नतर स्तर के प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा, जिससे कि सामान्यतः उस स्तर व उस प्रकार के वाद का निस्तारण अपेक्षित है।

3– निम्न श्रेणी के कर निर्धारण वाद अपास्त नहीं किए जाएंगे –

(क) ऐसे कर निर्धारण वाद जिनके संबंध में अपील लम्बित हो,

(ख) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 52 के अंतर्गत प्रदत्त कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण" की शक्ति का प्रयोग करते हुए ज्वाइण्ट कमिश्नर द्वारा पारित पुनरीक्षित आदेश,

(ग) सर्वेक्षण उपरांत अभिग्रहीत अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर तैयार वि0अनु0शा0 आख्या पर विचार किए जाने के उपरांत पारित आदेश अथवा विशेष कार्य बल में तैनात अधिकारियों द्वारा पारित आदेश, यदि टैक्स ऑडिट द्वारा पाए गए तथ्यों व आधारों पर ऐसे आदेश में विचार किया जा चुका हो।

4– निम्न श्रेणी के वाद संबंधित टैक्स ऑडिट प्राधिकारी द्वारा संबंधित ब्यौहारी अथवा व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत सीधे अपास्त किए जा सकेंगे –

(क) जिनका अस्थाई कर निर्धारण किया गया है,

(ख) ऐसे खुदरा व्यापारियों के कर निर्धारण वाद जिनके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत समाधान योजना का विकल्प अपनाया गया हो,

(ग) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) अथवा उत्तराखण्ड शासन की किसी अन्य योजना के अंतर्गत स्वतः कर निर्धारित वाद,

(घ) एक पक्षीय रुप से निस्तारित वाद।

5– उक्त बिन्दु संख्या चार में वर्णित वादों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकार के कर निर्धारण/समाधान वादों को अपास्त किए जाने से पूर्व ब्यौहारी को टैक्स ऑडिट प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। पूर्व में पारित कर निर्धारण/समाधान आदेश अपास्त नहीं किए जाने के संबंध में ब्यौहारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण युक्तियुक्त नहीं पाए जाने पर टैक्स ऑडिट प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश अपास्त किए जाने की अनुमति ज्वाइन्ट कमिश्नर (एस0टी0एफ0/टैक्स रिव्यू) के माध्यम से संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर से प्राप्त की जाएगी। टैक्स ऑडिट प्राधिकारी द्वारा जिन आधारों पर पूर्व में पारित कर निर्धारण/समाधान आदेश अपास्त किए जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया है एवं जो तर्क ब्यौहारी द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत किए गये हैं, का सम्यक् परिशीलन करने के उपरान्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (एस0टी0एफ0/टैक्स रिव्यू) टैक्स ऑडिट प्राधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के

संबंध में वाद अपास्त किए जाने अथवा नहीं किए जाने की संस्तुति जोनल एडिशनल कमिश्नर को की जाएगी। पारित कर निर्धारण/समाधान आदेश अपास्त कर टैक्स ऑडिट कर निर्धारण किया जाना है अथवा नहीं, के संबंध में जोनल एडिशनल कमिश्नर का निर्णय अंतिम होगा। यदि समस्त तथ्यों पर विचार करने के उपरांत जोनल एडिशनल कमिश्नर द्वारा वाद को अपास्त नहीं किए जाने का निर्णय लिया जाता है तो टैक्स ऑडिट प्राधिकारी द्वारा ऐसे वाद का टैक्स ऑडिट कर निर्धारण नहीं किया जा सकेगा। टैक्स ऑडिट कर निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव से सहमति की दशा में जोनल एडिशनल कमिश्नर द्वारा टैक्स ऑडिट प्राधिकारी को टैक्स ऑडिट कर निर्धारण हेतु अधिकृत किया जाएगा। टैक्स ऑडिट कर निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर 07 दिन के अन्दर ज्वाइन्ट कमिश्नर (एस0टी0एफ0/टैक्स रिव्यू) द्वारा अपनी आख्या जोनल एडिशनल कमिश्नर को प्रेषित की जाएगी एवं जोनल एडिशनल कमिश्नर द्वारा इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव/आख्या पर 07 दिन के भीतर यथा अपेक्षित निर्णय लिया जाएगा।

6– यह परिपत्र मात्र निर्देशात्मक है तथा इससे व्यापारी के पक्ष में कोई विधिक अधिकार सृजित नहीं होता है।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 2518/दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर।
3– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध करायें।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट) वाणिज्य कर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध करायें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
6– डिप्टी कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य), वाणिज्य कर, नैनीताल।
7– श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त परिपत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।
9– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।